सूर्य 6:10 (अस्त) 5:21 (उदय-कल)
तापमान 33.0 (अधि.) 24.0 (न्यून.)
आर्द्रता 92 (अधि.) 58 (न्यून.)

हैं। दिन में मध्यम
सुबह सहज होगी।
रहेगा। दिन में
होगा।

देवघर जागरण

सबको मिले कानून की जानकारी

पंचायत प्रशिक्षण संस्थान डाबरग्राम में विधि सेवा प्राधिकार का प्रमंडलीय सेमिनार

सेमिनार का उद्घाटन करते प्रधान जिला जज सज्जन दुबे व उपस्थित अधिवक्ता।

जागरण

संसू, देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शुक्रवार को पंचायत प्रशिक्षण संस्थान डाबरग्राम सभागार में संताल परगनास्तरीय सेमिनार का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सज्जन कुमार दुबे, नालसा निर्देशिका गीतांजलि गोयल, फैमली जज पीके चौरसिया, श्रम न्यायाधीश वीसी चौधरी, झालसा सचिव संतोष कुमार व जिला अधिवक्ता संघ के सचिव प्रणय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम दो सत्र में चला। कानूनविदों ने उपस्थित पैनल लॉयर, मिडियेटर, रिटेनर व पाय लीगल वालेंटियर को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों एवं इसको विस्तारित करने के तौर तरीके बताए।

इस दौरान जिला जज श्री दुबे ने कहा कि समाज में समानता का भाव पैदा करना ही संविधान का मूल उद्देश्य है। सामान्य लोगों को कानून की जानकारी मिले इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। वैसे लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है जो अज्ञानतावश गलत रास्ते पर भटक गये हैं। डालसा द्वारा शिविर लगाकर कानून से संबंधित जानकारी लोगों को दी जा रही है। इसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का कार्यक्रम जिलास्तर पर होना चाहिए। ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्रावणी मेला के सफल संचालन को लेकर पूरे टीम को धन्यवाद दिया। एसपी ए विजयालक्ष्मी ने कहा कि बालश्रम, बाल अपराध, मानव तस्करी, बाल विवाह, मनरेगा, पुलिस ट्रैफिकिंग, डायन उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न आदि अपराधों का मूल कारण गरीबी और अशिक्षा है। इसका समाधान लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर किया जा सकता है। मौके पर झालसा सचिव संतोष कुमार ने मध्यस्थता एवं डालसा की भूमिका, एके राय ने पीड़ित राहत कोष आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पाकुड़ के पीएलभी सदस्य कमला राय, गोड्डा के पीएलवी बासुदेव मणि, जामताड़ा के रीता शर्मा, साहेबगंज के रंजन कुमार सिंह, दुमका के अरूण कुमार सिंह व देवघर के नंदलाल यादव को मोमेंटो व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मौके पर मुख्य न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद, अपर सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार, विजय कुमार, कृष्ण कुमार, लोलार्क दुबे, रवि रंजन, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार, अजय कुमार सिंह, अभिषेक प्रसाद समेत कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। संचालन डालसा सचिव सह सिविल जज प्रभात कुमार शर्मा ने किया।

इंडियन पंच

Date- 24/9/2016

असमानता में समानता का भाव पैदा करना संविधान का उद्देश्य : पीडीजे

[देवघर/संवाददाता]

संप स्तरीय विधिक सेवा सेमिनार आयोजित

उद्घाटन करते मुख्यअतिथि व अन्य

पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में शुक्रवार को संताल परगना स्तरीय विधिक सेवा सेमिनार का आयोजन झालसा द्वारा किया गया। सेमिनार का उद्घाटन का प्रधान जिला जज व सत्र न्यायाधीश सज्जन कुमार दूबे, नालसा निदेशक गीताजंली गोयल, झालसा सचिव अरुण कुमार राय, एचसीएलएससी सचिव संतोष कुमार, जीपी रामचंद्रन, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान जज पीके चौरसिया, श्रम न्यायाधीश वीसी चौधरी, अधिवक्ता संघ के सचिव प्रणय कुमार सिन्हा, सिविल जज सह डालसा सचिव प्रमोद कुमार शर्मा ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलित कर किया।

मौके प्रधान जिला जज सज्जन कुमार दूबे ने कहा कि असमानता में समानता का भाव पैदा करना ही संविधान का मुख्य उद्देश्य है। सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए योजना व उसके संबंध में बनाये गये कानून की जानकारी जरुरी है। आम लोगों में अब काफी जागरुकता आयी है। लोग योजना का लाभ और कानून की जानकारी लेने के दिशा में आगे आ रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, झालसा व नालसा के लगातार विधिक जागरुकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जेल अदालत, लोक अदालत, राष्ट्रीय अदालत, मासिक लोक अदालत लगाकर कानून की जानकारी और मध्यस्थता द्वारा मामलों का निपटारा कराया जा रहा है। गांवों में शिविर लगाकर कानून की जानकारी दी जा रही है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र व्यापक ध्यान देने की जरुरत है। अशिक्षा के कारण लोग कानून की जानकारी व सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं ले जानकारी सभी होना जरुरी है तभी हम अपने हक, अधिकार व न्याय के लिए आगे आ सकते हैं। एसपी ए विजयालक्ष्मी ने कहा कि संताल परगना क्षेत्र में बाल विवाह बहुत बड़ी समस्या है। इसके जागरुकता व कानून की जानकारी जन-जन तक पहुंचाकर रोका जा सकता है। उन्होंने बाल श्रम एवं मानव तस्करी सहित कई कानूनों की जानकारी रखा। इसके अलावा अन्य न्यायिक पदाधिकारी ने भी अपने विचार रखे। मौके पर मेडियेशन, पीड़ित राहत कोष, डायन प्रथा उन्मूलन, बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी सहित कानूनों पर अलग-अलग सत्र आयोजित जानकारी दी गयी।

लीगल सर्विसेज को मिशन समझें, जॉब नहीं : गीतांजलि

देवघर। विधिक सेवा प्राधिकार के तहत लिगल सर्विसेज को मिशन समझें, जॉब नहीं। हम प्रतिबद्धता से काम करें। उपर्युक्त बातें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की डायरेक्टर गीतांजलि गोयल ने कही। वह पंचायत प्रशिक्षण संस्थान डाबरग्राम में लिगल सर्विसेज इंस्ट्रीट्युशन्स के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। अब लिगल सर्विसेज का काम खुले आसमान की तरह बहुत विस्तृत हो गया है। योजनओं को बनाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना हमारा जिम्मेदारी है कि उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कैसे हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका पारा लिगल वालेंटियर की है।

देवघर

विधिक विषयों पर सत्रों में हुई चर्चा

देवघर। पंचायत प्रशिक्षण संस्थान डाबरग्राम में लीगल सर्विसेज इंस्ट्रीट्युशन्स के कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में विभिन्न विधिक विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई। कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में दी जाने वाली विधिक सेवाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

झालसा के सदस्य सचिव ए.के.राय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत विक्टिम कम्पन्शेसन के बारे में उपयोमी जानकारी दी। उन्होंने झालसा द्वारा किये जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला। सत्र में उपस्थित झारखण्ड बार कौंसिल के सदस्य अमर कुमार सिंह ने बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी व दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर प्रकाश डालते हुए बेबाक शब्दों में अपने विचार प्रकट किए। पुलिस अधीक्षक ए.विजयालक्ष्मी ने बाल श्रम व मानव तस्करी पर प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत ही सुन्दर तरीके से विधिक जानकारियां विस्तार से प्रस्तुत कीं। उन्होंने दहेज प्रथा समेत अनेक विधिक विषयों से संबंधित पहलुओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए समस्या और निदान पर प्रकाश डाला।

Date - 24/9

संघ क्षेत्र के विधिक सेवा संस्थाओं की समग्र बैठक

संविधान की मूल सोच समाज में बराबरी का : प्रधान जिला न्यायाधीश

देवघर (निसं)।

पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में संथाल परगना क्षेत्र के विधिक सेवा संस्थाओं की समग्र (प्लीनरी) बैठक का उद्घाटन देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डालसा संजय कुमार दूबे ने दीप जला कर किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में कहा कि संविधान की मूल सोच समाज में बराबरी है। असमानता को समाप्त कर सबों को समाज की मुख्यधारा में लाना है। विधिक सेवा प्राधिकार इस दिशा में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि जब विधिक सेवा प्राधिकार का गठन नहीं हुआ था। तब भी समाज के कमजोर वर्ग को विधिक सहायता दी जाती थी किन्तु यह कानून बन जाने के बाद वैसे लोग जो आर्थिक-सामाजिक रूप में न्याय पाने से वंचित है, उन्हें न्याय दिलाने का काम किया जाता है।

विधिक सेवा प्राधिकारी लोगों को उनके अधिकार की जानकारी देने के लिए काम कर रहा है। उनका क्या अधिकार है, उसे कैसे हासिल करेंगे जो कानून संविधान में उन्हें मिला है। आज गांव, थाना यहां तक कि जेलों में भी विधिक सहायता की कोई न कोई संस्था खोली जा रही है जहां पारा लिगल वोलंटियर हैं।

विधिक सेवा को मिशन के रूप में लेकर काम करें: गीतांजली

जेल के कैदियों को भी उनके सामान्य अधिकार की जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि जिन्हें लंबी सजा हुई है, उन्हें आधी सजा पूरी कर लेने के बाद जमानत पाने का अधिकार है।

अब तो आपदा पीड़ितों को भी सहायता दी

शेष पेज 4

संविधान की मूल सोच...

जा रही है। उन्होंने गत वर्ष श्रावणी मेला की चर्चा करते हुए कहा कि जब सुबह में उन्हें कांवरियों की मौत और घायल होने की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल कोर कमिटी को सक्रिय किया और पीएलभी को घायलों की देखरेख, उनके परिजनों का पता, मृतकों के पोस्टमार्टम आदि कराने में लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब तो न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य कार्यबल पीएलभी है। उन्होंने कहा कि झालसा द्वारा यहां लगातार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसके लिए झालसा के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली से आई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की निदेशक गीतांजली गोयल ने कहा कि 1995 में नालसा का कानून के तहत गठन हुआ और उसी के बाद झालसा, डालसा आदि का गठन हुआ।

उन्होंने कहा कि नालसा नीति बनाती है किन्तु मुख्य कार्यबल ग्रास रूट लेवल की संस्था तथा कार्यकर्त्ता हैं। ग्रास रूट लेवल के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, इसकी जानकारी आपको है। आपको कमिटमेंट के साथ काम करना है। आप समुदाय के बीच के हैं। अतः समुदाय के साथ काम करें। विधिक सेवा का दायरा बड़ा है। ग्रास रूट लेवल पर नीतियों को लागू करना आप पर निर्भर है। इसमें पीएलभी की अहम भूमिका है। आप समुदाय के बीच से हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दों को समुदाय स्तर पर ही सुलझा लेना चाहिए। न्यायालय तभी आवें जब विवाद का निष्पादन समुदाय स्तर पर न हो। उन्हें कहा कि हम कमजोर वर्ग, आदिवासियों आदि के बारे में भी सोचें। उसे केस की तरह डील न कर उनके कल्याण के लिए और क्या कर सकते हैं। इस बारे में भी सोचें। उन्होंने अंत में कहा कि विधिक सेवा को मिशन समझकर कमिटमेंट के साथ काम करें। देवघर जिला बार असोसियेशन के सचिव प्रणय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब से विधिक सेवा प्राधिकार का कानून बना है। समाज के पिछड़े लोगों को कानून की जानकारी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभ में झालसा के मेंबर सेक्रेटरी ने आगत अतिथियों का स्वागत किया जबकि उद्घाटन सत्र में धन्यवाद ज्ञापन उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संतोष कुमार ने किया। समाचार लिखे जाने तक विभिन्न सत्रों में कार्यक्रम चल रहा था। इसका आयोजन झालसा द्वारा किया गया।

प्रभात खबर

संप स्तरीय सेमिनार का आयोजन, नालसा की डायरेक्टर ने कहा

विधिक सेवाओं से जुड़े सेवाकर्मी सेवा भाव से करें कार्य : गोयल

संतालपगरना स्तरीय सेमिनार में मंचासीन नालसा की डायरेक्टर जी गोयल, झालसा सचिव संतोष कुमार, पीडीजे एसके दुबे व अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण.

- सुलभ न्याय के लिए सभी को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य : पीडीजे

विधि संवाददाता ▸ देवघर

समाज में गरीब तबके लोगों को जानकारी के अभाव में त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे कानूनी अधिकारों से वंचित रहे जाते हैं. सबों को त्वरित न्याय दिलाना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का उद्देश्य है. इसके लिए हर जगह विधिक सेवाएं प्रदान कराने के लिए पैनल लॉयर, रिमांड लॉयर, रिटेनर, मीडियेटर व पीएलवी बनाये गये हैं तो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं. जिन्हें हमेशा सेवा भाव से कार्य करने की जरूरत है. उक्त बातें नालसा की डायरेक्टर गीतांजलि गोयल ने कही. वह डाबरग्राम स्थित पंचायत प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित संताल परगना स्तरीय सेमिनार को संबोधित कर रहीं थीं. उन्होंने कहा कि विधिक सेवा संस्थानों से जुड़े लोग इसे जॉब नहीं समझें, बल्कि लोक सेवक समझें तभी यह मिशन पूरा होगा. समारोह में झालसा के सदस्य सचिव एके राय ने डायन प्रथा उन्मूलन विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के बारे में जानकारी दी जबकि हाइकोर्ट रांची से आये सचिव संतोष कुमार ने विधिक सेवाओं व मीडियेशन के बारे में विस्तार से बताया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष सज्जन कुमार दुबे ने कहा कि न्याय सबके द्वार सुलभ तरीके से कैसे मिले, इसके लिए विधिक सेवक कार्य कर रहे हैं. सबों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है. उद्घाटन समारोह में नालसा के जीबी रविचंद्रन, फैमिली कोर्ट के प्रधान जज प्रदीप कुमार चौरसिया, श्रम न्यायाधीश विशन चंद्र चौधरी, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव प्रणय कुमार सिन्हा, विभिन्न जिलों से आये डालसा सचिव, देवघर व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम अजीत कुमार, एडीजे दो कृष्ण कुमार, एडीजे तीन विजय कुमार, एडीजे चार लोलार्क दुबे, एडीजे पांच रवि रंजन, सीजेएम कुमार क्रांति प्रसाद समेत कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे. अतिथियों का स्वागत व मंच संचालन डालसा के सचिव प्रभात कुमार शर्मा ने किया.

- संप के पैनल लॉयर, रिटेनर, मीडियेटर व पीएलवी को दी गयी विधिक सेवाओं की जानकारी
- लोगों को कानूनी अधिकार तथा उनके कर्तव्यों की जानकारी उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
- सबको मिले त्वरित न्याय, इसके लिए विधिक सेवक कर रहे हैं कार्य

नये कानून की दी गयी जानकारी

झालसा रांची के तत्वावधान व डालसा देवघर के आयोजकत्व में हुए सेमिनार दो सत्रों में चला. दूसरे सत्र में न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा डीसी अरवा राजकमल ने कहा कि शिक्षा के अभाव में संताल परगना में बाल विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त है जिसे दूर करना विधिक सेवकों का कर्तव्य बनता है. ऐसे आयोजन से जागरूकता जन-जन तक पहुंचेगी. नालसा सेवेन स्कीम के बारे में भी जानकारी दी. एसपी ए विजयालक्ष्मी ने बाल शोषण, बाल श्रम व मानव तस्करी पर विस्तार से जानकारी दी. साथ ही बाल अधिकारों के संरक्षण पर कार्य करने की बात रखी. स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अमर कुमार सिंह ने सामाजिक कुरीतियों पर फोकस किया. इस सत्र में पीडीजे एसके दुबे समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे.

समारोह में नहीं आ पाये मुख्य न्यायाधीश

झालसा द्वारा आयोजित संप स्तरीय सेमिनार में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य जस्टिस अपरिहार्य कारणों से नही आ पाये. इस समारोह में मुख्य न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार के साथ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस एचसी मिश्रा, जस्टिस अपरेश सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर के आगमन की जानकारी दी गयी थी.

छह पारा लीगल वोलेंटीयर सम्मानित

:संताल परगना प्रक्षेत्र के विभिन्न जिलों में लोगों के बीच उत्कृष्ट सेवा देने के लिए छह पारा लीगल वोलेंटीयर को सम्मानित किया. सम्मानित होने वालो में पाकुड़ की पीएलवी कमला राय, गोड्डा के वासुदेव मणि, जामताड़ा की रीता शर्मा, साहिबगंज के रंजन कुमार सिंह, देवघर के नंदलाल यादव व दुमका के अरूण कुमार सिंह शामिल हैं. इन सबों को प्रशस्ति पत्र सेमिनार में दिया गया. अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन हाइकोर्ट के आये सचिव संतोष कुमार ने किया.